

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी  
गुरुवार, 05 अगस्त 2010 / श्रावण 14, 1932 (शक )

संख्या-88

सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्व श्री जगदीश मुखी, मनोज शौकीन, सतप्रकाश राणा, श्रीकृष्ण त्यागी, रमेश विधूडी, कुलवंत राणा, प्रद्युमन राजपूत, श्यामलाल गर्ग, साहब सिंह चौहान, मोहन सिंह बिष्ट व श्री हर्ष वर्धन को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग, के सामने से दिनांक 02.08.2010 को अपराह्न 12.25 बजे नजरबंद किया गया।”

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनांक 02.08.2010 अपराह्न 12.45 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)  
Thursday 5<sup>th</sup> August 2010/ Shraavan, 14, 1932(Saka)

No.88

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, South East Distt., New Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi; S/Shri Jagdish Mukhi, Manoj Shokeen, Sat Prakash Rana, Srikrishan Tyagi, Ramesh Bidhuri, Kulwant Rana, Parduyymn Rajput, Shyam Lal Garg, Sahab Singh Chauhan, Mohan Singh Bisht, and Harsh Vardhan, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from 1<sup>st</sup> barricade in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 12.25 PM on 02.08.2010.

They were released at 12.45 PM on the same date.”

P.N. Mishra  
Secretary